

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 205/2012/उदयपुर

मैसर्स जे.एस.खत्री एण्ड कम्पनी
उदयपुर

अपीलीर्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी
वर्क्स कान्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, उदयपुर
एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा, सदस्य

प्रत्यर्थी

उपस्थित:

श्री पी.डी.जावरिया
अभिभाषक
श्री आर.के.अजमेरा
उप राजकीय अभिभाषक

अपीलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 14-09-2015

निर्णय

अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त(अपील्स), वाणिज्यिक कर, उदयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 182/ वैट/ रेस्टासे/10-11 में पारित आदेश दिनांक 22.11.2011 के विरुद्ध पेश की गयी है, जिसके द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स कान्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, उदयपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 23, 24, 55 एवं 58 के अन्तर्गत वर्ष 2006-07 के लिए पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 23.1.2.2008 में सृजित मांग राशि रु. 3,83,666/-, को यथावत रखा गया है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा राज्य के बाहर से कय किये माल पर करारोपण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किया गया है, जबकि अपीलार्थी व्यवहारी के अनुसार उक्त माल कार्य संविदा में प्रयुक्त हुआ है इसलिए उस पर करारोपण किया जाना अविधिक है। अपीलार्थी व्यवहारी राज्य के बाहर अहमदाबाद, गुजरात का रहने वाला है और केवल पंजीयन हेतु बजाज नगर, उदयपुर का पता दे रखा है। माल का स्टोर करने हेतु कोई गोदाम उदयपुर में नहीं है और ठेके के काम आने वाला माल सीधा राज्य के बाहर से खारीद कर अवार्डर की साईड पर जमा होता है। उक्त तथ्यों के होते हुए कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 23, 24, 55 एवं 58 के अन्तर्गत दिनांक 23.12.2008 को आदेश पारित कर रु. 3,83,666/- की मांग सृजित की है। उक्त सृजित मांग के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने सृजित मांग को यथावत रखकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.11.2011 पारित किया है, जिससे क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कार्य संविदा में प्रयुक्त माल का विक्रय डीमड सेल अधिनियम की धारा 2 (35)(ii) के अन्तर्गत आती है, जिसके अन्तर्गत **transfer of property of goods** पर कर देय है, इसलिए मुनाफे पर कर आरोपित करना अविधिक है, जो अपास्त योग्य है। उनका कथन है कि आलोच्य अवधि में अपीलार्थी व्यवहारी ने राज्य के भीतर खरीदे गये माल का कार्य संविदा में प्रयुक्त किया है, जिसका उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं है बल्कि कार्य सम्पादन कर मुनाफा कमाना है, इसलिए लाभ पर कर आरोपित करना अविधिक है। उनका कथन है कि अपीलार्थी व्यवहारी स्वयं कोई कर जमा कराना नहीं था इसलिए अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत शक्ति आरोपित करना अनुचित होने से अपास्त योग्य है। उनका कथन है कि अवार्डर द्वारा ही कर की कटौती कर ली गई थी और प्रत्येक कटौती प्रमाण पत्र जारी करने का प्रावधान अधिनियम में नहीं होने के कारण अपीलार्थी व्यवहारी ने वार्षिक विवरण प्रस्तुत किये हैं। उनका यह भी कथन है कि प्रत्येक तिमाही **transfer of property** की गणना करना सम्भव नहीं है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों को अपास्त करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी कर निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। बहस के दौरान यह कथन किया गया है कि अपीलार्थी अहमदाबाद का रहने वाला है और केवल पंजीयन हेतु बजाज नगर, उदयपुर का पता देखा है, के कथन में बल नहीं है, अपीलार्थी सामान्य व्यवहारी के रूप में पंजीकृत है। अपीलार्थी राजस्थान के राज्य के बाहर से माल खरीद कर लाया है और इसमें अवार्डर राजस्थान का ही है। अतः राज्य के बाहर से खरीद गये माल पर करारोपण किया जाना है, उचित है। अतः इस बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण आदेशों में हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए इस बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण आदेशों की पुष्टि की जाती है। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया है कि कर निर्धारण अधिकारी ने टर्नओवर बढ़ाकर 4 एवं 12.5 प्रतिशत कर आरोपित किया है। इस बिन्दु पर कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली एवं कर निर्धारण आदेश का अवलोकन करने पर कर निर्धारण अधिकारी का आदेश उचित एवं विधिक प्रतीत होता है इसलिए उसमें हस्तक्षेप की किये जाने का कोई औचित्य नजर नहीं आता है।




पीठ का मत है कि डीमड सेल पर मुनाफा जोडा जाना विधिक है। डीमड सेल भी सेल ही है इसलिए मूल्य वृद्धि पर कर आरोपित करना उचित है तथा transfer of property भी व्यवसाय का ही हिस्सा है। अतः लाभ पर आरोपित कर को अपीलीय अधिकारी ने यथावत रखा है, जो उचित है।

हस्तगत प्रकरण से सम्बन्धित रेकार्ड के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलार्थी व्यवहारी का कर रू. 20,000/- से अधिक है इसलिए अपीलार्थी का दायित्व है कि वह तिमाही विवरण पत्र समय पर प्रस्तुत करे, चूँकि अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से रिटर्न विलम्ब से प्रस्तुत किये गये हैं इसलिए अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत शास्ति आरोपित किया जाना न्याय संगत एवं विधिक है।

अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उन्होंने उक्त तथ्यों के आधार पर ही कर निर्धारण अधिकारी के आदेश की पुष्टि की है, जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। फलतस्वरूप अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाकर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.11.2011 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


(सुनील शर्मा)
सदस्य